

कृति
द्वारा
१५-९-२००५

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. २०६५ / जी.एस.
दिनांक: ०६ / ९ / 2005

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब०/३७६२/२००५ दिनांक २६-०६-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७(२) के अधीन राजकीय महिला महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं संस्कृत विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से तथा परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में शिक्षण सत्र २००३-०४ एवं २००४-०५ को शून्य सत्र मानते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर।

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

१०३०
पत्र का
मिलाया गया
(३००८/२००५)
२१-७-२००५

पत्र

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.2065/जी०एस० दिनांक 06.9.2005 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

आपके पत्र संख्या सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/३९६२/२००५ दिनांक 29.०६.२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-३७(२) के अधीन राजकीय महिला महाविद्यालय, विन्दकी, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं संस्कृत विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.७.२००५ से तथा परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में शिक्षण सत्र 2003-०४ एवं 2004-०५ को शून्य सत्र मानते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.७.२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रविधानों के अंतर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/ ५८९८ /२००५

दिनांक 19/9/05

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, विन्दकी, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा उक्त विषयों प्रवेश एक सप्ताह के अन्दर कर प्लोपी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जाए।
 2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर
 3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय) सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।
 4. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।
 5. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।

महेश चन्द्र
कुलसचिव
(सं०)